[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 33/2019- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.......(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. संख्या 291(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"18	मशीनरी उपस्कर, उपकरण, घटक, कल-पुर्जे, औजार, सहायक उपकरण, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, माक अप्स और मॉडल, कच्चा माल तथा उपभोग की सामग्री जो कि रक्षा मंत्रालय के लाइट कम्वैट एयर क्राफ्ट प्रोग्राम (एलसीएपी) के उद्देश्य से आवश्यक हो ।	यदि,- (क) उक्त माल का आयात एलसीएपी के उन प्राधिकृत निर्माण केन्द्रों के द्वारा किया जाता हो जिसको कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और (ख) ऐसे आयातकर्ता हर मामले में आयात के समय उक्त माल की सूची सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क को सौंपते हों जिसमें उसका सुसंगत विवरण होगा, अर्थात,- (1) वरिष्ठ प्रबंधक या सहायक निदेशक, एरो नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यह विधिवत प्रमाणित किया जाए कि उक्त सूची में उल्लिखित माल रक्षा मंत्रालय के एलसीएपी के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग केवल एलसीएपी के लिए ही किया जाएगा और इसका विनिर्माण भारत में नहीं होता है; और (2) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उल्लिखित सूची में आयातित माल रक्षा मंत्रालय के एलसीएपी के उद्देश्यों के अनुसार आयातित किए गए हैं। स्पष्टीकरण: इस छूट में निहित कोई भी बात 04 दिसम्बर, 2021 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी" ।

[फाइल संख्या 354/76/2006-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 39/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 को सा.का.नि. संख्या 291(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 11 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 302 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था ।